

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ९५३२ / 2021 दिनांक ०८.11.2021

श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), अपर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर को दिनांक 20.10.2021 से 26.10.2021 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 19.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती परनामी की अनुपस्थिति में अपर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
०१.११.२०२१
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/06/2010/ ६९१३

दिनांक ०८.11.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 6407 दिनांक 28.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), अपर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
4. अपर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
5. अपर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई.प्रकरण), जोधपुर महानगर ।

सहायक रजिस्ट्रार